

विवरण

11-09-2020

अगिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार जीहन

उरांव बगरह पिता - बिट्टू उरांव को खास नोटिसा निर्गत किया गया था जो अगिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार को पिता लोकेन्द्र

लकड़ा द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि माग पाकरबहार खामा ही 6

62 लॉट (क) खता 109 एचयूपीक 2019-13 का लगान रसीद

प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान निरस्त लकड़ा ने आपना लिखित

रूप में आवेदन दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य

कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व

उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अगिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि

पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार

रव खेसरा संख्या 62 नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जीहन

उरांव बगरह पिता - बिट्टू उरांव, ग्राम -

पाकरबहार के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>पाकरबहार</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>-</u>	<u>1.19 ए</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रौंची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

11/09/2020
अंचल अधिकारी,
बोलबा।

11/09/2020
अंचल अधिकारी,
बोलबा।